

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज न्यायमंडल

—:वाहन नीलामी की अतिअल्पकालीन सूचना:—

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोपालगंज न्याय मंडल के अंतर्गत अत्यंत पुरानी वाहनों जिनका संचालन अवधि 15-20 वर्ष हो चुकी है को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करने के आदेश हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज को प्रदत्त शक्ति के आलोक में इस हेतु निमित्त गठित समिति द्वारा निम्नलिखित वाहनों की आम नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है उसी स्वरूप में के आधार पर दिनांक-10.01.2026 को 4:30 बजे अपराह्न से जी24 न्यू कोर्ट बिल्डिंग व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज (नवीन भवन) के परिसर में की जाएगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने की स्थिति में नयी तिथि की सूचना व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के वेबसाइट (<https://gopalganj.dcourts.gov.in/>) के माध्यम से दी जायेगी।

नीलामी हेतु वाहन का विवरण:—

SI No.	वाहन का स्थान (जहाँ पर वाहन रखा गया है)	वाहन का प्रकार	Regd. No. (निबंधन सं०)	Engine No.	Chesis No.	Purchasing Year/Model	Running Period	Running in K.M.	निर्धारित न्यूनतम मूल्य (रुपये में)	अग्रधन राशि (रुपये में)
1	आवास, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज क्लेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे	Car	BR28-4567	6EHEU-107144	AEU-716659	1995/Ambassador	20 years	253440	10500/-	525/-
2	आवास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजीयापुर गोपालगंज	Car	BR28-3133	6EHCY-108186	ACV-735186	1996/Ambassador	19 years	380160	11500/-	575/-
3	आवास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजीयापुर गोपालगंज	Car	BR28-2949	6EHMU-107716	AMU-728775	1996/Ambassador	19 years	370245	11500/-	575/-
4	आवास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजीयापुर गोपालगंज	Car	BR28-5357	3ELBF-102477	ACF-900000	2006/Ambassador	10 years	205120	12000/-	600/-
5	आवास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजीयापुर गोपालगंज	Car	BR1R-2573	3ELCA-066805	ADA-836403	2001/Ambassador	15 years	237608	11500/-	575/-
6	आवास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजीयापुर गोपालगंज	Car	BR1AE-4477	1298	MA3-EBE-4150471929	2007/Esteem	15 years	51134	12000/-	600/-

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें:—

- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- जिस वाहन पर एकल आवेदन प्राप्त होगी, उस वाहन की नीलामी नहीं की जा सकेगी।
- नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले क्रेता के साथ उसी स्थिति में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी, जब वह राशि न्यूनतम निर्धारित राशि से अधिक हो।
- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक-A में अंकित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर नज्दरत सिविल कोर्ट, गोपालगंज में दिनांक-06.01.2026 तक जमा करना होगा।
- नीलामी में भाग लेने हेतु वाहन के अग्रधन/प्रतिभूति की राशि अनुलग्नक-A सहित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक-06.01.2026 तक कार्यालय अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज Payable at SBI Main Branch, Gopalganj के रूप में जमा करना होगा।

6. नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन/प्रतिभूति राशि नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी एवं असफल व्यक्तियों का अग्रधन/प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी।
7. नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी के तुरंत बाद नीलामी कक्ष में शेष राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर न्यूनतम प्रतिभूति राशि का 20 प्रतिशत की राशि जप्त कर दूसरे नम्बर पर आने वाले नीलामकेता को सफल माना जाएगा। इसके निर्णय हेतु नीलामीकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
8. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
09. नीलामी की प्रक्रिया में व्यवहार न्यायालय अथवा इससे संलग्न कार्यालय/इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी अथवा इससे संलग्न अन्य सरकारी कर्मी भाग नहीं लेंगे।
10. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को स्थानांतरित कराना होगा। नीलामीकर्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। सभी प्रकार के भार से (Free of all encumbrances) मुक्त मानते हुए उपरोक्त सभी वाहनों की नीलामी की जायेगी।
11. इस सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में अंकित वैसे सभी वाहन, जिनके सामने स्कैप (scrap) लिखा हुआ है, निबंधन के योग्य नहीं है तथा इनका नया पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी वाहनों को कटवाने, ढोने एवं तौलने की जिम्मेदारी नीलामकेता की होगी।
12. अपने विवेक से बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय नीलामीकर्ता सुरक्षित रखता है तथा यह निर्णय अंतिम होगा।
13. कार्यदिवस में वाहन के अवलोकन के संबंध में अथवा नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी इस जिला के वेबसाइट (<https://gopalganj.dcourts.gov.in/>) पर प्राप्त किया जा सकता है।
14. यदि प्रकाशित विज्ञापन में लिपिकीय/टंकण त्रुटि होगी, तो वैसी स्थिति में शिकायत पत्र/आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज के कार्यालय में जमा कराया जाएगा। तत्पश्चात् त्रुटि का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज के माध्यम से होगा।

—  —
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोपालगंज।

ज्ञापांक...../दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. श्री आशुतोष कुमार, सिस्टम ऑफिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज के वेबसाइट पर लाल रंग से हेडिंग में इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे कि यह आसानी से दृष्टिपटल हो सके।
2. DLSA, गोपालगंज, कृपया अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएं।
3. नाजीर, व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज को निर्दिष्ट किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज के नोटिस बोर्ड पर लगाएं।
4. सूचना एवं जन-संपर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गीता गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोपालगंज।

Current Photo

घोषणा-पत्र

(क) मैं, ... प्रमाणित करता/करती हूँ कि नीलामी हेतु आम-सूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों को मैंने पूरे होशो-हवास में पढ़ लिया तथा इसे पूर्णतः समझ लेने के उपरांत ही मैं इस नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले रहा/रही हूँ। मैं इन नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी। नही करने के स्थिति में मेरा डाक बोली रद्द किया जा सकता है।

(ख) मैं नीलामी में लेने वाले वाहन का पूर्ण रूप से जांच-पड़ताल कर लिया हूँ एवं संतुष्ट हूँ। वाहन जैसा है उसी स्वरूप में लेंगे। वाहन नीलामी के बाद मेरा, कोई दावा मान्य नहीं होगा। मेरे नाम से नीलामी होते ही सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा कर देंगे। यदि मेरे द्वारा नीलामी के पश्चात तुरंत नीलामी कक्ष में नीलामी राशि जमा नहीं करता है तो मेरे सम्पूर्ण डी0डी0 राशि जप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकता है। मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(ग) मेरे द्वारा डाक बोली नहीं बोलने अथवा डाक में अनुपस्थित रहने पर मेरा जमा अग्रिम राशि जप्त कर लिया जाय। मेरा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। डाक बोली में भाग नहीं लेने पर मेरा नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(घ) मैंने नीलामी हेतु प्रस्तुत वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया है, एवं मैं संतुष्ट हूँ तथा नीलामी में सफल होने पर तथा वाहन प्राप्त लेने के उपरांत, मैं वाहन का स्थानांतरण अपनी जिम्मेदारी एवं अपने व्यय पर कराउंगा/कराउंगी तथा इस वाहन में किसी भी प्रकार के दोष संबंधी शिकायत नहीं करूंगा/करूंगी। मेरा कोई भी दावा/शिकायत मान्य नहीं होगा।

(च) मैं सूची क्रमांक.....का वाहन सं0-.....का अग्रिम राशि बैंक शाखा,.....द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नं0.....दिनांक.....रुपया.....
(अक्षर में).....रुपये का मूल संलग्न है।

वाहन सूची क्रमांक-

वाहन का प्रकार

नाम-

पता-

भाग लेने वाले का हस्ताक्षर

पिता/पति का नाम-

सा0-

जिला-

मोबाईल सं0-

दिनांक-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

प्राप्ति-रसीद

मैं वाहन सूची क्रमांक.....का वाहन सं0-.....का अग्रिम राशि का 5 प्रतिशत बैंक शाखा.....
.....द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नं0.....दिनांक.....
रुपया.....(अक्षर में).....रुपये का मूल संलग्न है, जमा प्राप्त किया।

वाहन सूची क्रमांक-

वाहन का प्रकार

नाम-

पता-

भाग लेने वाले का हस्ताक्षर

पिता/पति का नाम-

सा0-

जिला-

मोबाईल सं0-

दिनांक-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर